



2026:AHC:21726

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या – 5615 सन् 2024

नीलेंद्र कुमार श्रीवास्तव

.....याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....उत्तरदाता(उत्तरदाताओं)

याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं) के अधिवक्ता

: दीक्षा वर्मा, स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव

उत्तरदाता(उत्तरदाताओं) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति, विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता, सुश्री दीक्षा वर्मा और राज्य की ओर से अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता, श्री एस.के. पाल को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता 31.07.2017 को 22 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कनिष्क अभियन्ता के पद से सेवानिवृत्त हुए, यद्यपि, सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें 7,68,575/- रुपये का भुगतान नहीं किया गया। उत्तरदाताओं द्वारा एक प्रति शपथपत्र दायर किया गया, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता उक्त राशि का बकाया है जो उन्होंने अग्रिम रूप से ली थी, यद्यपि, नोटिस जारी करने और उसकी तामील के बावजूद, याचिकाकर्ता ने कोई उत्तर नहीं दिया है।
3. श्री एस.के. पाल, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यदि याचिकाकर्ता नोटिस का उत्तर देते हैं तो आदेश पारित किए जाएंगे।
4. इस निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता उत्तरदाता संख्या 2, कार्यकारी अभियन्ता, निर्माण प्रभाग संख्या 1, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद से संपर्क करें।
5. बार में दिए गए निवेदनों पर विचार करते हुए और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है जिसमें याचिकाकर्ता को तीसरे उत्तरदाता से आवेदन/प्रतिनिधित्व दायर करने का निर्देश दिया जाता है। उक्त आवेदन पर, उत्तरदाता संख्या 2, कार्यकारी अभियन्ता, निर्माण प्रभाग संख्या 1, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद, याचिकाकर्ता की सुनवाई करेंगे और इस संबंध में छह सप्ताह की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करेंगे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. यदि, उत्तरदाता संख्या 2 को लगता है कि इस मामले का निवारण किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है, तो उसे सूचित किया जाए।

(न्यायमूर्ति, विकास बुधवार)

30 जनवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"